प्रेषक

संख्याः– 37 / 68–5–2019

डा0 प्रभात कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः 24 जनवरी, 2019

विषयः **शैक्षिक सत्र 2019–20 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' (SHARDA–स्कूल हर दिन आयें) संचालित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत 06–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। अग्रेत्तर अधिनियम के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा की गयी है कि 06–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाय और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये।

अधिनियम के उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु विचारोपरान्त शासन द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्यक्रम – **'शारदा' (SHARDA–स्कूल हर दिन आयें)** संचालित करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में आपको निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:–

1. लक्षित समूह :–

'शारदा' (SHARDA–स्कूल हर दिन आयें) के अन्तर्गत जनपद में 6–14 आयुवर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 02 श्रेणी के हो सकते हैं :–

(1) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो।

(2) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किन्तु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ गये अर्थात् ड्राप आउट हो गये।

ड्राप आउट बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आउट आफ स्कूल बच्चों को निम्नवत् परिभाषित किया गया है :–

''06 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय का माना जायेगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो/की गयी हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात् अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरन्तर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।''

Scanned with CamScanner

2. आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण एवं मूल्यांकन (एसेसमेन्ट) :–

(1) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेंट एरिया) में 6–14 आयु वर्ग के सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण **अनिवार्यतः** किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों का नाम, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि आदि का विवरण रखा जायेगा। पंजीकरण हेतु प्रारूप संलग्न है। **(संलग्नक–1)**

(2) बच्चों के पंजीकरण एवं नामांकन का कार्य दो चरण में किया जायेगा–

(अ) **प्रथम चरण** में बच्चों का **पंजीकरण** दिनांक 01.02.2019 से 30.03.2019 तक किया जाये तथा इन सभी बच्चों का विद्यालय में **प्रवेश** दिनांक 01.04.2019 से प्रारम्भ कर 20.04.2019 तक पूर्ण किया जाये।

(ब) **द्वितीय चरण** में बच्चों का **पंजीकरण** दिनांक 21.05.2019 से 30.06.2019 तक किया जाये तथा इन सभी बच्चों का विद्यालय में **प्रवेश** दिनांक 01.07.2019 से प्रारम्भ कर 20.07.2019 तक पूर्ण किया जाये।

(3) विद्यालय में नव नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मूल्यांकन (एसेसमेन्ट) प्रधानाध्यापक/कक्षा अध्यापक द्वारा प्रथम चरण हेतु दिनांक 21.04.2019 से 30.04.2019 की अवधि में तथा द्वितीय चरण हेतु दिनांक 21.07.2019 से 31.07.2019 की अवधि में किया जाये और उनके ज्ञान के स्तर का निर्धारण कर लिया जाये ताकि उन्हें सुसंगत कक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण (ब्रिजकोर्स) की व्यवस्था की जा सके। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलेगा

3. नामांकन का लक्ष्य एवं रणनीति :–

(1) जनपदों की जनसंख्या एवं शैक्षिक सत्र 2018–19 में नामांकन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु वर्तमान नामांकन में 15% की वृद्धि का लक्ष्य एवं कुल नामांकन का लक्ष्य निर्धारण किया गया है जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

(2) 06–14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/ अध्यापकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से दो चरण में किया जायेगा।

- **प्रथम चरण** में सर्वे दिनांक 01.02.2019 से 30.03.2019 की अवधि में किया जाये।
- **द्वितीय चरण** में सर्वे दिनॉक 21.05.2019 से 30.06.2019 की अवधि में सम्पन्न किया जाये।

सर्वे हेतु उक्त अवधि एक अभियान के रूप में कार्य करने के लिए निर्धारित की गयी है। यदि सर्वे में कतिपय बस्तियॉ अथवा घर आच्छादित नहीं हो सके हैं तो सर्वे का कार्य उक्त निर्धारित अवधि के बाद भी जारी रखा जाये ताकि सभी आउट आफ स्कूल बच्चों को चिहिन्त करते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले सर्वे का प्रपत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)** एवं **(संलग्नक–3 ए)**

(3) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेन्ट एरिया) के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जाये कि सर्वे में सभी बस्तियाँ/घर आच्छादित हो जायें।

Scanned with CamScanner

(4) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हीकरण भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जाये ताकि ऐसे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस सम्बन्ध में यूनीसेफ एवं आर0बी0एस0के0 के सहयोग से दिव्यांगतावार चेक लिस्ट तैयार की गयी है, जिसके आधार पर अध्यापकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के दौरान ही इन बच्चों का भी चिन्हीकरण किया जाये। दिव्यांगतावार चेक लिस्ट संलग्न है। **(संलग्नक–4)** इन बच्चों के नामांकन हेतु इटिनरेन्ट टीचर्स/रिसोर्स टीचर्स/जिला समन्वयक को दायित्व दिया जाये।

(5) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्टरी, खादान आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बालश्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाती है। ऐसे बालश्रमिक बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनसे सम्बन्धित सूचना उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पता/विवरण सहित उपलब्ध करायी जाय ताकि इनका नामांकन कराया जा सके।

(6) विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को लगभग 6 वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा–1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।

(7) बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऐसी किशोरी बालिकाओं का चिन्हीकरण किया गया है, जो वर्तमान में विद्यालयों में नामांकित नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने जनपद से सम्बन्धित 06–14 आयु वर्ग की बालिकाओं की पता सहित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बालिकाओं का नामांकन कराया जाये।

(8) अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाये। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(9) विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबन्ध समिति, माँ समूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं (ओपिनियन बिल्डर्स) का सहयोग प्राप्त किया जाये।

(10) यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भाई/बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात आउट आफ स्कूल हैं तो शिक्षामित्र/अनुदेशक/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता–पिता से सम्पर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जायेगा।

4. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग :–

(1) आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पोर्टल का निर्माण कराया जायेगा जिसके प्रयोग के बारे में जनपदों को यथाशीघ्र अवगत कराया जायेगा।

(2) प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लाक संसाधन केन्द्र स्थापित तथा क्रियाशील है, जिनमें कम्प्यूटर एवम् इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि बस्तीवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामवार विवरण एवं नामांकन की प्रगति प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड करायेंगे जिसका नियमित अनुश्रवण निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

(3) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त के अतिरिक्त साप्ताहिक प्रगति निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को माह की 7, 14, 21 एवं 28 तारीख तक अनिवार्यतः ई–मेल से उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned with CamScanner

(4) निदेशक, बेसिक शिक्षा द्वारा जनपदवार नामांकन की पाक्षिक प्रगति अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को माह की 16 एवं 01 तारीख को प्रेषित की जायेगी।

5. नव नामांकित बच्चों का विशेष प्रशिक्षण :–

(1) विद्यालयों में नव नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयुसंगत कक्षा के स्तर तक का ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत अध्यापकों का प्रशिक्षण कराया जाता है, सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं ली जाती है, बच्चों के लिए अधिगम सामग्री उपलब्ध करायी जाती है तथा बच्चों को संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। विद्यालय में नामांकन के उपरान्त इन बच्चों को 06 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जो माह मार्च में पूर्ण होता है।

(2) विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए उनके उपलब्धि स्तर के अनुसार अनिवार्यतः विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण का संचालन किया जाये।

(3) विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रधानाध्यापक/कक्षा अध्यापक द्वारा इन बच्चों का पुनः मूल्यांकन (एसेसमेंट) किया जाये और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयुसंगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाये।

(4) विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (विशेष प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

6. उपस्थिति एवं ठहराव :–

(1) आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि इन बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण–अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इन बच्चों के पुनः ड्राप आउट होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी। अतएव, इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

(2) यदि बच्चा लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो सम्बन्धित शिक्षक द्वारा बच्चे के माता–पिता से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाय और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाये।

(3) इसके उपरान्त भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जाय। इसके उपरान्त भी यदि बच्चा उपस्थित नहीं होता है तो खण्ड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाये जो अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों की उपस्थिति पर विचार–विमर्श विशेष रूप से किया जाय और अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जाय। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज भी की जाय।

(5) छात्र–छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में अभिभावक–अध्यापक एसोसिएशन (पी0टी0ए0) गठित की जायें और बैठकें आयोजित की जायें जिनमें

Scanned with CamScanner

विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र–छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति एवं उपलब्धि (अधिगम) स्तर के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया जाये। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जाये, जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को निर्धारित होगी।

(6) विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जाय ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेल–कूद सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर दिये जायें। खेल–कूद हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा इस हेतु एक अध्यापक को प्रभारी नामित किया जाये।

7. अनुश्रवण में सुविधा हेतु कार्यक्रम का फ्लो–चार्ट निम्नवत् है:–

कार्यक्रम का फ्लो–चार्ट

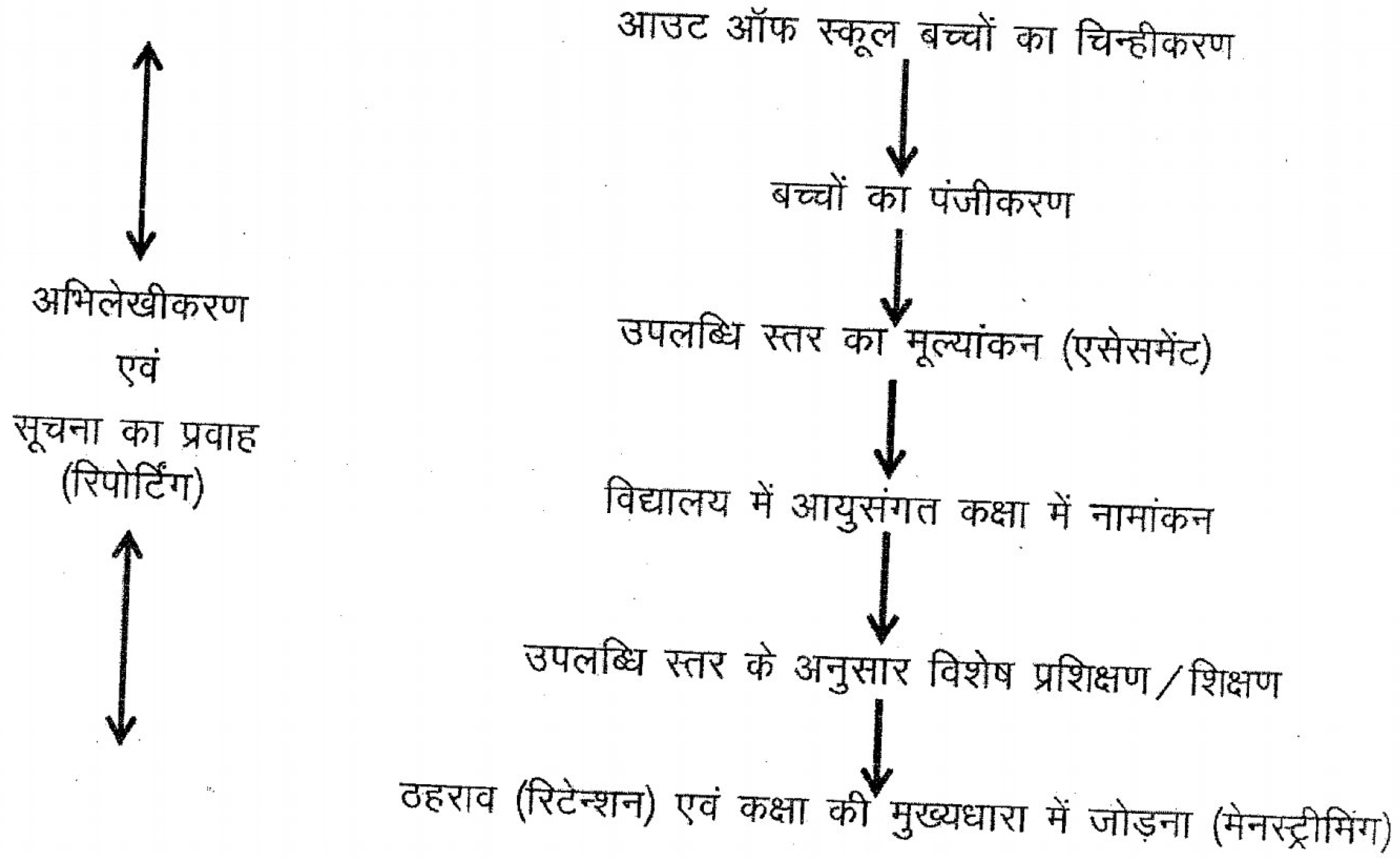

8. प्रोत्साहन/पुरस्कार :–

(1) उल्लेखनीय है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की स्थिति एक शैक्षिक समस्या है, जिसके लिए कोई शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं है। अतः, सर्वे के दौरान प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा पूर्ण मनोयोग से समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाय और नामांकन कराया जाये।

(2) जिन विद्यालयों में सर्वे में चिन्हित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन करते हुए वर्ष 2018–19 के नामांकन के सापेक्ष न्यूनतम 15% की वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी उनमें से **प्रत्येक विकासखण्ड के एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापक** को पुरस्कार दिया जायेगा।

(3) जिन विकासखण्डों में समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराते हुए 2018–19 के नामांकन के सापेक्ष न्यूनतम 15% की वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी, उनमें से **प्रत्येक जनपद के एक सर्वश्रेष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी** को पुरस्कार दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(4) प्रदेश स्तर पर समग्र रूप में सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन कराने एवं वर्ष 2018–19 के नामांकन के सापेक्ष न्यूनतम 15% वृद्धि सुनिश्चित करने वाले **प्रत्येक मण्डल से एक सर्वश्रेष्ठ जनपद** को चिन्हित किया जायेगा और उन जनपदों के **जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी** को पुरस्कार दिया जायेगा।

9– विद्यालय में बच्चों का नामांकन कार्यक्रम शिक्षकों का आधारभूत क्रियाकलाप है, जिसके बिना उनके शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण हेतु कोई नियत समय इंगित नहीं किया गया है। शिक्षक स्वेच्छा से बच्चों के चिन्हीकरण एवं पंजीकरण का कार्य किसी भी दिन तथा किसी भी समय कर सकते हैं। वस्तुतः यह कार्य शैक्षिक सत्र के पूर्व तैयारी किये जाने से संबंधित है, अतः शिक्षकों द्वारा इसे अतिरिक्त ड्यूटी नहीं माना जा सकता है और इसके बदले में उन्हें कोई अवकाश आदि देय नहीं होगा।

आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
2. श्रम आयुक्त, जी0टी0 रोड़, कानपुर नगर, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, साक्षरता, उर्दू एवं प्राच्य भाषा, लखनऊ।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0।
9. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
10. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उ0प्र0
11. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner